



श्री
कञ्चनपुर जिल्ला अदालत
तहशील शाखाबाट जारी

दशीका दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनहरू र ट्याक्टरको ट्रली एक-एक गरी लिलाम बडाबडद्वारा इच्छुक व्यक्ति वा संस्थालाई बिक्री गर्ने सम्बन्धी ७ (सात) दिने जरूरी सूचना:-


सूचना प्रकाशन (लागू हुने मिति २०७७।०९।२० देखि मिति २०७७।०९।२८ सम्म मात्र)

यस अदालतमा विभिन्न मुद्दाहरूमा दशी स्वरूप दाखिला हुन आएका जिन्सीमा आम्दानी बाँधिएका दशीका दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनहरू १४ (चौध) थान र १ (एक) थान ट्याक्टरको ट्रली जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ९२ तथा आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ बमोजिम एक-एक गरी लिलाम बडाबडद्वारा बिक्री गरिने भएकोले यस अदालतको मिति २०७७।०९।१२ को निर्णय र मिति २०७७।०९।१९ गते बसेको समितिको निर्णयानुसार लिलाम बडाबडमा सहभागी हुन चाहने व्यक्ति वा संस्थाले मिति २०७७।०९।२७ गते देखि मिति २०७७।०९।२८ विहान १० बजे देखि बेलुका ४ बजेसम्म दुई दिन मात्र यस अदालतबाट जारी गरिएको दरखास्त निवेदन लिई (रु.३,००/- फिर्ता नहुने) दर्ता गरी आफ्नो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सहित आफूले बोलकबूल गरेको रकमको १०% रकम यस अदालतमा नगदै बुझाई बाँकी ९०% रकम र कूल बोलकबूल रकमको १३% मूल्य अभिवृद्धि कर समेत चुक्तागरी सो सवारी साधनहरू जेजस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा आफ्नै खर्चमा मिति २०७७।१०।०२ गतेभित्र उठाई लैजान र सो सवारी साधनको बोलकबूल गरेको रकम भन्दा बढी बोल्नेको फाराम स्वीकृत भएमा आफूले राखेको १०% धरौटी रकम मिति २०७७।१०।०४ गतेका दिन आफ्नो सक्कलै नागरिकता ल्याई आफैँ उपस्थित भई नियमानुसार फिर्ता लैजानु पर्ने छ, साथै कुनै सवारी साधनको आज १०% रकम बुझाई भोली वा अर्कोदिन सो धरौटी रकममात्र फिर्ता पाँऊ, सवारी साधन लिन्न वा मेरो उक्त सवारी साधनमा चित्त बुझेन भन्न पाइने छैन, उक्त १०% धरौटी रकम कानून बमोजिम जफत हुनेछ।

तपशील

तहशीलदार
शा.अ.

| सिं. | जिन्सी | आदेश | वादी | प्रतिवादी | मुद्दा | मोटरसाइकल नं. | प्राविधिकले तोकेको | समितिले | कायम | कैफिय |
|------|--------|------|------|-----------|--------|---------------|--------------------|---------|------|-------|
|------|--------|------|------|-----------|--------|---------------|--------------------|---------|------|-------|

| न. | नं. | मिति | | | | | न्यूनतम मूल्य रु. | गरेको मूल्य रु. | त |
|-----|-----|----------------|--|--------------------|--|----------------------------|---|-----------------|---|
| १. | ९४७ | २०७७/ ०५/१५ | प्र.ना.नि. धर्मानन्द भट्टको जाहेरीले नेपाल सरकार | राजकुमार राना समेत | सरकारी दस्तखत र छाप संगठितभई कित्तै गरेको ०७७- ८१-००२८ | सु.प.प्र.००१ प ००६-३५७३ | १,०४,९५०/-  | १,०४,९५०/- | |
| २. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | से.७ प.४२११ | ९९,४५०/- | ९९,४५०/- | |
| ३. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | सु.प.प्र.०१प. ०७-३५१२ | १,१९,३४०/- | १,१९,३४०/- | |
| ४. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | सु.प.प्र.०१प. ००८-५३४३ | १,१९,३४०/- | १,१९,३४०/- | |
| ५. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | सु.प.प्र.००११- ०७-७३८७ | १,२८,९४०/- | १,२८,९४०/- | |
| ६. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | से.६ प.२५८३ | १,०४,९५०/- | १,०४,९५०/- | |
| ७. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | से.७ प.३८७९ | १,१८,१९५/- | १,१८,१९५/- | |
| ८. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | सु.प.प्र.००१- ०८-६७८२ | १,५३,९४५/- | १,५३,९४५/- | |
| ९. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | से.६.प. ८५०५ | ९९,४५०/- | ९९,४५०/- | |
| १०. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | से.७. प.३२७१ | १,२५,९५०/- | १,२५,९५०/- | |
| ११. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | से.७ प.६७४७ | १,०९,३९५/- | १,०९,३९५/- | |
| १२. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | ऐ. | से.६.प.१११३ | १,०७४५०/- | | |
| १३. | ९४५ | ऐ. | राजेश खत्रीको जाहेरीले नेपाल | प्रकाशसिंह ऐर | कर्तव्य ज्यान | से.३ प.१६१६ | १,२८,३४०/- | १,२८,३४०/- | |


तहीसित
या



| | | | | | | | | |
|-----|-----|----|---|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|------------|
| १४. | ९४५ | ऐ. | सरकार राजेश खत्रीको जाहेरीले नेपाल सरकार | प्रकाशसिंह ऐर | कर्तव्य ज्यान | म.२ प.४८५६ | १०,०००/- | १०,०००/- |
| १५. | ९४५ | ऐ. | राजेश खत्रीको जाहेरीले नेपाल सरकार | प्रकाशसिंह ऐर | कर्तव्य ज्यान | ट्रेक्टरको ट्रली म. १ त. १०३२ | १,५०,०००/- | १,५०,०००/- |

१. लिलाम बडाबड हुने सवारी साधनहरू हेर्न चाहेमा वा यस सम्बन्धमा थपकुरा बुझनुपर्ने भए अझा समय भित्र विहान १०.०० बजे देखि बेलुका ४.०० बजे सम्म यस अदालतको तहशील शाखामा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।
२. जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ९२ को उपनियम १३ को कानूनी व्यवस्था:- यस नियम बमोजिम लिलाम वा विक्री भएका सवारी साधन वा दर्ता गर्नुपर्ने मेशनरी सामान लिलाम सकार वा खरिद गर्ने व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्ने भएकोले ती सवारी साधनहरू दर्ताको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने छ।
३. लिलाम बडाबड सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार यस अदालतमा रहने छ।

(महिमानसिंह विष्ट)

तहशीलदार शाखा अधिकृत

इति संवत् २०७७ साल पुष महीना १९ गते रोज १ शुभम्.....।